भाजपा जनसेवा का संकल्प

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

नवभारत न्यूज

दतिया, 23 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने गुरूवार को दतिया में सेवढ़ा एवं भाण्डेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी.

कांग्रेस ने दतिया की जनता को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने जनता की सेवा कर विकासवाद की राजनीति को प्रमुखता दी है. पार्टी कार्यकर्ताओं

की मेहनत से उपचुनाव में भाजपा की विजय सुनिश्चित है. खण्डेलवाल ने कहा कि दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है. जनता के विश्वास व आशीर्वाद से भाजपा दतिया उपचुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी. भाजपा की जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वर्षों से जनता की सेवा, विकास और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का सम्मान होगा. भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, समर्पण और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जुटा हुआ है. बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठन पूरी मजबूती से कार्य कर रहा है.

> खण्डेलवाल ने कहा कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो मजबूत नींव रखी गई है, उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉ. नरोत्तम मिश्रा को जाता है. उन्होंने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया. खण्डेलवाल ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है. कांग्रेस ने वर्षों तक दतिया की जनता को केवल वोट बैंक समझा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाकर कार्य किया. भाजपा के लिए राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है.

गवाही से बच रहे शिकायतकर्ता पर हाईकोर्ट का रवैया सख्त

भोपाल पुलिस कमिश्नर से कोर्ट ने मांगा हलफनामा

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 23 जुलाई. हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने एक आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता के लगातार अदालत में गवाही के लिए अनुपस्थित रहने पर कड़ा रुख अपनाया है.

कोर्ट ने कहा कि समन, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट व अंततः स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी शिकायतकर्ता का ट्रायल कोर्ट में उपस्थित न होना न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है. कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को विस्तृत हलफनामा पेश करने तथा शिकायतकर्ता की ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यह मामला भोपाल निवासी जितेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोतवाली थाने में जमीन से संबंधित कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज है.

पटवारी को कुचलने की कोशिश

हाथ तोड़ा और पंचनामा फाड़कर भागे बदमाश

नवभारत न्यूज

रतलाम, 23 जुलाई. जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे एक पटवारी पर खनन माफियाओं ने ऐसा हमला किया जिसने प्रशासनिक अमले की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

देवगढ़-हिम्मतखेड़ी पंचायत क्षेत्र में पदस्थ पटवारी अजय चौहान पर कथित खनन माफियाओं ने पहले बुलडोजर से कुचलने का प्रयास किया, फिर मारपीट कर उनका हाथ तोड़ दिया और शासकीय कार्रवाई का पंचनामा छीनकर फाड़ दिया। घायल पटवारी को प्राथमिक उपचार के बाद ऑपरेशन के लिए रतलाम के निजी अस्पताल रेफर किया गया है. पटवारी अजय चौहान गांव के चौकीदार भगवानलाल के साथ शासकीय कार्य के दौरान क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे. तभी 4 से 5 बदमाश मौके पर पहुंचे और पटवारी के साथ अभद्रता करते हुए हमला कर दिया.

सेंट्रल जेल से फरार सीरियल किलर धराया

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 जुलाई. ग्वालियर में एक सीरियल किलर को लेकर ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया. पैरोल खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटने वाला कुख्यात आरोपी हनी दुबे गुरुवार को पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस हिरासत से फरार हो गया.

उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जिस आरोपी को पुलिस शहरभर में ढूंढ रही थी, वह बहोड़ापुर थाने से महज 100 मीटर दूर एक सूने मकान के चौकीदार कमरे में छिपकर पुलिस की

गतिविधियां देख रहा था.

गुना का कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. पैरोल खत्म होने के बाद वह केंद्रीय जेल ग्वालियर वापस नहीं लौटा था. जेल प्रशासन की शिकायत पर बहोड़ापुर थाना पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

> पुलिस के मुताबिक, हनी दुबे को एफआरवी वाहन से केंद्रीय जेल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और मौके का फायदा उठाकर भाग निकला. आरोपी के फरार होते ही पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगा दी गईं. आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई और लगातार तलाश शुरू कर दी गई. हनी दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधक निलंबित

शहडोल. मध्यप्रदेश के शहडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के प्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष कुमार यादव को आर्थिक अनियमितता के आरोपों की जांच में प्राथमिक प्रमाण मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है. मप्र राज्य सहकारी बैंक, भोपाल के प्रबंध संचालक मनोज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आदेश में संतोष कुमार यादव को निलंबित करते हुए रीवा की संभागीय शाखा से संबद्ध (अटैच) किया गया है. आदेश में कहा गया है कि आर्थिक अनियमितता की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गई है.

स्टेशन से 44 लाख की चांदी के आभूषण जब्त

19 किलो चांदी सहित दो संदिग्ध हिरासत में

नवभारत न्यूज

इटारसी, 23 जुलाई . रेल पुलिस अधीक्षक (भोपाल) अंकित जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 से दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 18.994 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए हैं.

जब्त आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपये

बताई गई है. जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि 22 जुलाई को प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान भारी पिट्ठू बैग लिए दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई. उन्होंने अपनी पहचान राकेश जाट (41), निवासी रसलाखेड़ी, ईटखेड़ी (भोपाल) तथा लक्की राजवानी (44), निवासी बैरागढ़ (भोपाल) के रूप में बताई. तलाशी में बैग से पायल, चेन, कड़े, अंगूठियां और बिछिया सहित कुल 18.994 किलोग्राम चांदी के आभूषण मिले, लेकिन दोनों इनके संबंध में कोई वैध बिल, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत आभूषण जब्त कर इस्तगासा क्रमांक 1/26 दर्ज किया.

> दोनों व्यक्तियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलने पर उन्हें धारा 35(1) बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया. न्यायालय में आरोपियों को प्रस्तुत किया गया. जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे, उप निरीक्षक श्रीलाल पड़रिया, प्रधान आरक्षक विष्णुमूर्ति शुक्ला सहित जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है.

साथ ही कर संबंधी पहलुओं की जांच के लिए जीएसटी विभाग को भी सूचना भेजी गई है.

400 साल पुरानी तोप की तलाश में राजस्थान पहुंची पुलिस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 जुलाई. राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से चोरी हुई करीब 400 वर्ष पुरानी तोप की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस करौली पहुंची है.

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस को खुफिया तंत्र से सूचना मिली थी कि चोरी हुई तोप हिंडौन सिटी के गांवड़ा मीणा गांव में छिपाकर रखी गई है. इसी सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने करौली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई शुरू की है. दोनों

राज्यों की पुलिस गांवड़ा मीणा गांव में सघन तलाशी अभियान चला रही है पुलिस जेसीबी मशीनों की मदद से कई स्थानों पर खुदाई कर रही है ताकि चोरी हुई तोप का पता लगाया जा सके. 50 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं. पूरे गांव में पुलिस की गतिविधियां तेज हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभावित स्थान की जांच की जा रही है.

तंत्र-मंत्र के नाम पर दुष्कर्म के मामले में दो सहआरोपी गिरफ्तार

धार. धार जिले की कुक्षी पुलिस ने तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से कथित दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी तांत्रिक की मदद करने वाले दो फरार सहआरोपियों को घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने 19 जुलाई को थाना कुक्षी में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि 26 मार्च को रेवसिंह और राकेश उसे मनावर बस स्टैंड से मोटरसाइकिल पर ग्राम कड़माल स्थित एक घर में ले गए, जहां तांत्रिक कैलाश ने बीमारी का तंत्र-मंत्र से उपचार करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी.

रेत के अवैध परिवहन में लिप्त 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली किए जब्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 जुलाई. जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही शहर की सीमा पर स्थित विभिन्न तिराहों-चौराहों पर रेत की ट्रॉली खड़ी करने की प्रवृत्ति पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

इस कड़ी में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर आज गुरुवार की दोपहर अनुविभागीय दण्डाधिकारी झांसी रोड अतुल सिंह के नेतृत्व में गई संयुक्त टीम ने विक्की फैक्ट्री तिराहा व हुरावली चौराहा सहित अन्य स्थानों पर छापामार कार्रवाई की.

इस दौरान रेत से भरे 10 ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए. प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि अवैध व ओवरलोड रेत से भरे 7 ट्रेक्टर-ट्रॉली झांसी रोड थाना क्षेत्र में जब्त की गई हैं. इसी तरह तीन ट्रेक्टर ट्रॉली सिरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब्त की गई हैं. इन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को संबंधित पुलिस थाना की अभिरक्षा में भेजा गया है.

सिवनी में चलते ट्रक में लगी भीषण आग

सिवनी. जिले के धूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बंजारी घाटी के पास बुधवार देर रात अनार से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. चालक और परिचालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि ट्रक और उसमें लदा अनार पूरी तरह जलकर राख हो गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनार से लदा ट्रक महाराष्ट्र के नाशिक से उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) जा रहा था. बंजारी घाटी से गुजरते समय अचानक ट्रक से धुआं निकलने लगा. चालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे

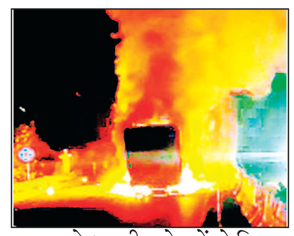

वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देता रहा, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही धूमा थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि दमकल वाहन के पहुंचने तक ट्रक का अधिकांश हिस्सा आग की भेंट चढ़ चुका था. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें भरा लाखों रुपये मूल्य का अनार पूरी तरह जल चुका था.

प्राथमिक जांच में आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट अथवा इंजन में तकनीकी खराबी माना जा रहा है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक लेन से वाहनों की आवाजाही सुचारु कराई, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. राहत की बात यह रही कि इस घटना की चपेट में कोई अन्य वाहन नहीं आया और चालक-परिचालक सुरक्षित बच गए.

दोषी सहायक यंत्री व उपयंत्री सहित 3 निलंबित

- आयुक्त मुनीष सिकरवार ने जारी किए आदेश
- दीवार हादसे में जांच के बाद की गई कार्रवाई

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 जुलाई. गुडा गुडी का नाका मुक्तिधाम के पास दीवार गिरने की घटना की जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है तथा प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

किया एवं वर्तमान क्षेत्राधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय से हटाकर जनकार्य विभाग में पदस्थ किया गया हैं .

ज्ञात हो कि क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 21 के अंतर्गत गुडा गुडी का नाका मुक्तिधाम के पास दीवार गिरने की घटना के उपरांत निगमायुक्त संघ प्रिय द्वारा जांच समिति गठित की गई थी. जांच समिति द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर सहायक यंत्री राकेष कुषवाह द्वारा निर्माण कार्य के समय परवेक्षण नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

दतिया में भाजपा नेत्री के पति के होटल पर पुलिस का छापा

अरुण गांगोटिया 5 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

दतिया, 23 जुलाई. दतिया में भाजपा नेत्री के पति के होटल पर पुलिस की रेड पड़ी है. गांगोटिया ढाबा से बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है. भाजपा नेत्री के पति अरुण गांगोटिया अवैध शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए हैं.

बस स्टैंड स्थित होटल सेअवैध शराब की बिक्री हो रही थी. अरुण गांगोटिया से 5 पेटी अंग्रेजी और एक पेटी देशी शराब जप्त की गई है. उपचुनाव को लेकर दतिया पुलिस की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है.

सिविल लाइन पुलिस ने भाजपा नेत्री के पति पर धारा 34/2 की कार्यवाही की गई है. एसपी मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने यह कार्यवाही की.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री संतोष चमार, श्री भेरूलाल, श्रीमती रेशम बाई एग्रीकल्चर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10671063)	पटवारी हल्का संख्या 67, खसरा संख्या 342, वार्ड संख्या 20, मकान संख्या 114, ग्राम सक्तली, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, 455118 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल : 750 वर्ग फुट.	रुपये 250631.49 (रु. दो लाख पचास हजार छह सौ इकतीस और पैसा उन्नचास मात्र)	09-03-2026	21-07-2026
श्री विजेंद्र सिंह सेंधव श्रीमती चिंता बाई सेंधव एग्रीकल्चर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10666523)	142, पीएचएन संख्या 57, मकान संख्या 65, रोशनबाद, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश, 455118 का पूरा भूखंड क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल : 900	रुपये 376558 (रु. तीन लाख छिहत्तर हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र)	09-03-2026	21-07-2026
श्री वसीम खान, श्रीमती तबस्सुम खान (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10094982 और आईएल10241182)	प्लॉट नं. 82, सर्वे नं. 93, वार्ड नं. 3, रेल नगर कॉलोनी, राजगढ़ गांव, तहसील और जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457001 क्षेत्रफल वर्ग फुट में माप : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल : 588.00, 771.00, 694.00	रुपये 1881996/- (रु. अट्ठारह लाख इक्यासी हजार नौ सौ छियानवे मात्र) आईएल10094982 के लिए और रुपये 388786/- (रु. तीन लाख अठासी हजार सात सौ छियासी मात्र) आईएल10241182 के लिए	07-08-2025	20-07-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 /या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 24-7-2026 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

चुनाव प्रचार | दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए कहा...

भाजपा के प्रत्याशी को कोई नहीं जानता : पटवारी

> जीतू पटवारी ने कहा कि यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र, जनादेश और संविधान की रक्षा का भी चुनाव है. उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी कुँवर घनश्याम सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया. इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक डांगी, प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार, वरिष्ठ नेता अवधेश नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

विशेष संवाददाता

दतिया, 23 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुँवर घनश्याम सिंह के समर्थन में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया. उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की.पटवारी ने मैं दतिया के गाँव-गाँव घूम रहा हूँ, लेकिन न कोई भाजपा के प्रत्याशी को जानता है और न ही उन्हें वोट देना चाहता है. उन्होंने दावा किया कि दतिया की जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस बार मतदाता परिवर्तन का मन बना चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता में व्यापक असंतोष है. पटवारी ने कहा कि गांवों और शहरों में लोगों से मुलाकात के दौरान उन्हें कांग्रेस के प्रति मजबूत समर्थन मिला है और यही समर्थन उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का आधार बनेगा. पूर्व कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए पटवारी ने कहा कि दतिया की जनता उस घटनाक्रम को भूली नहीं है.

उनका दावा था कि मतदाता लोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट के माध्यम से अन्याय का जवाब देंगे.

चेक बाउंस में 3 माह कारावास और 1.30 लाख का जुर्माना

दमोह. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.परिवादी के अधिवक्ता श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने बताया कि परिवादी रूपेश जैन, निवासी दमोह ने अभियुक्त नमन श्रीवास्तव, निवासी स्टेशन चौराहा, दमोह को 1 लाख रुपए नगद उधार दिए थे.रुपए वापस मांगने पर अभियुक्त ने भुगतान के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया. जब परिवादी ने चेक को बैंक में लगाया तो वह बिना राशि के अनादरित हो गया. इस पर परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया. साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने 20 जुलाई 2020 को आरोपी नमन श्रीवास्तव को दोषी पाते हुए 3 माह का कारावास व 9 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित कुल 1,30,000 की राशि एक माह के भीतर परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया.

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति जावद, जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक / मण्डी / तौलकांटा / 26-27 / 243 — जावद, दिनांक 21.07 2026

-: बी.ओ.टी. तौलकांटा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना :-

कृषि उपज मंडी समिति जावद द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण में ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर 60 सह 10 मे. टन तौलकाटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 24.07.2026 समय 10.30 बजे से दिनांक 17.08.2026 को समय 17:30 बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mplenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है-

सिस्टम क्रमांक	इलैक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम / आपसेट (राशि रूपये)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत
1	2	3	4	5	6
2026_MPSAM_523187_1	मंडी प्रांगण, जावद में 60 सह 10 मे. टन (02 प्लेट युक्त) तौलकांटा स्थापना	60 सह 10 मे टन	25000/-	69600/-	5000/-

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
जावद, जिला-नीमच

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
जावद, जिला-नीमच